न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी सिकन्दरा [illegible] देहात

वाद सं० टी2015034005240

धारा 176 ज०वि० [illegible]
ग्राम जैतापुर [illegible]
तहसील सिकन्दरा कानपुर देहात

जय श्री बाला जी लॉ कालेज बनाम हीरा सिंह आदि।

नकल निर्णय दि० 17-12-15

प्रस्तुत वाद जय श्री बाला जी लॉ कालेज द्वारा संस्थापक जवाहर सिंह पुत्र जयराम सिंह निवासी ग्राम जैतापुर परगना व तहसील सिकन्दरा कानपुर देहात द्वारा प्रस्तुत किया गया दावा में कहा गया है कि ग्राम जैतापुर की खतौनी वर्ष 1420–1425 फ० के खाता सं० 273 के गाटा सं० 126/4 रकवा 0.615हे० व गाटा सं० 191मि० रकवा 0.533हे० व गाटा सं० 247मि० रकवा 0.092हे० व गाटा सं० 248मि० रकवा 0.932हे० व गाटा सं० 172/2 रकवा 0.093हे० कुल पांच किता रकवा 2.265हे० में अंश घोषित कर कब्जा दखल दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है ।

वाद दर्ज रजिस्टर कर पक्षो को सम्मन जारी किये गये जो वाद तामील शामिल मिसिल है प्रतिवादी गणो के द्वारा अंशो पर सहमति व्यक्त की गयी तदनुसार दि० 23.09.15 को अंश घोषित किये गये लेखपाल देहा को कुरा दाखिल करने हेतु नोटिस जारी की गयी लेखपाल देहा द्वारा दि० 18.11.15 को कुराजात प्रस्तुत कर अपने बयान अंकित कराये।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन किया तथा उभय पक्षो के अधिवक्ताओ की बहस सुनी कुरो पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई जिससे में इस निष्कर्ष पर पहुचता हुँ कि न्याय हित में लेखपाल देहा द्वारा प्रस्तुत कुराजात दि० 18.11.15 स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम जैतापुर की खतौनी वर्ष 1420–1425 फ० के खाता सं० 273 के गाटा सं० 126/4 रकवा 0.615हे० व गाटा सं० 191मि० रकवा 0.533हे० व गाटा सं० 247मि० रकवा 0.092हे० व गाटा सं० 248मि० रकवा 0.932हे० व गाटा सं० 172/2 रकवा 0.093हे० कुल पांच किता रकवा 2.265हे० वादी जय श्री बाला जी लॉ कालेज द्वारा संस्थापक जवाहर सिंह पुत्र जयराम सिंह को कुरा नं० 1 रंग हरा व कुरा नं० 2 रंग लाल प्रतिवादी भूरे सिंह,महेन्द्र सिंह, छोटे सिंह पुत्रगण हीरा सिंह व कुरा नं० 3 रंग बैगनी प्रतिवादी शम्भू सिंह पुत्र रघुवीर सिंह व कुरा नं० 4 रंग काला कृष्ण कुमार पुत्र रघुवीर सिंह को आवटित किये जाते है लेखपाल द्वारा दाखिल कुरा नक्शा आदेश का अंग रहेगे परवाना व डिक्री निर्गत की जाय पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–

17/12/15

सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी
सिकन्दरा कानपुर देहात

सत्य प्रतिलि[illegible]
अहलमद (माल)
उप जिलाधिकारी सिकन्द्रा
रमाबाई नगर

क्रमांक 45
नकल प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 7-1-16
नकल प्रार्थना पत्र देने वाले का नाम श्री [illegible]
नकल बनाने का दिनांक ....
नकल जारी करने का दिनांक 12-1-16
[illegible] 12-1-16
[illegible]
7-01

बनाने वाले के हस्ताक्षर ....
मिलान कर्ता के हस्ताक्षर ....

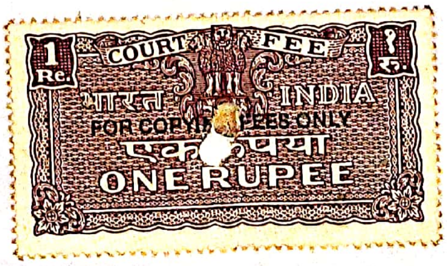

Scanned with OKEN Scanner